

विज्ञप्ति संख्या-1 2022-23

जिले की निम्नलिखित पंचायत समितियों के सम्मुख ग्राम पंचायतों में साथिन के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों हेतु कार्यालय उपनिदेशक महिला अधिकारिता अलवर में स्व. प्रमाणित दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र. स.	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1	बानसूर	रसनाली
2	राजगढ	सुरेर
3	बहरोड	खरखडा
4	रामगढ	डाबरी, खिलोरा, खालसा नगर
5	कढूमर	टोडा
6	तिजारा	मायापुर, बेरला, चौपानकी, जोडिया मेव,
7	किशनगढबास	जीलोता, बृसंगपुर, तहनोली
8	थानागाजी	नंगलबानी, गुडा चुरानी
9	उमरैण	परसा का बास

1. आवेदनकर्ता महिला संबंधित ग्राम पंचायत की निवासी होनी चाहिये तथा घर में शौचालय होने व उसने नियमित उपयोग संबंधी घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
2. साथिन पद हेतु न्यूनतम योग्यता 10वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
3. विवाहित होना अनिवार्य नहीं है।
4. विज्ञप्ति जारी तिथि को आवेदक की आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिये लेकिन एस.सी./एस.टी, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता एवं विशेष योग्यजन के प्रकरण में अधिकतम आयु 45 वर्ष तक होगी।
5. आवेदक अपना आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट wcd.rajasthan.gov.in, ई मित्र अथवा कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। भरा हुआ आवेदन पत्र दो प्रतियों में जरिये मेल अथवा व्यक्तिशः विज्ञप्ति जारी होने के 30 दिवस के अंदर सांय 06:00 बजे तक भिजवाना अनिवार्य हैं।
6. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 4595 दिनांक 08.08.2019 के अनुसार पिछडा वर्ग, नॉन क्रीमीलेयर के प्रमाण पत्र संबंधी तथ्य को 3 वर्ष के लिये विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जावेगी। विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 3 वर्ष से अधिक पुराना प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
7. आवेदन पत्र के साथ समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न किया जाना आवश्यक है।

8. श्रेणी वार प्राथमिकता परिशिष्ट- 'ब' पर दिये गये मूल्यांकन प्रपत्र में वर्णित मापदण्ड अनुसार देय होगी।
9. चयन के संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय उपनिदेशक महिला अधिकारिता कलैक्ट्रेट परिसर महल चौक, अलवर से प्राप्त की जा सकती है।
10. विधवा व तलाकशुदा महिला को ससुराल व मायके दोनों स्थानों के लिये यथानुसार स्थानीय निवासी माना जावेगा।
11. जिन ग्राम पंचायतों के कवरेज क्षेत्र में जनसंख्या का 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक वर्ग का है, उन ग्राम पंचायतों में उसी वर्ग की महिला का चयन अनिवार्य रूप से किया जावेगा।



(रिषीराज सिंगल)

उपनिदेशक

महिला अधिकारिता, अलवर

दिनांक: 29.8.2022

क्रमांक: 1270 - 88

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान आयुक्त, आयुक्तालय महिला अधिकारिता जयपुर।
2. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अलवर।
3. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त जिला अलवर।
4. प्रोग्रामर, आयुक्तालय महिला अधिकारिता जयपुर को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
5. सम्पादक, दैनिक भास्कर को भेजकर लेख है कि अलवर संस्करण में न्यूनतम जगह में डीपीआर की दरों पर प्रकाशन कराने की व्यवस्था करावे।



उपनिदेशक

महिला अधिकारिता, अलवर